(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

"151	कोई भी अध्याय	"सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे";

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-4/2018/वाक/पांच(14). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2018/वाक/पांच (14), दिनांक 25-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 25th January 2018

NOTIFICATION
No. 07/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10- 4/2018/CT/V (14). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3)of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 2/2017- State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (70) dated the 28th June, 2017 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule, -

(i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates &additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]", shall be substituted;

(ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

"102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake";

(iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry "7117" shall be substituted';

(iv) in S. No. 137,in column (3), after the words "used in agriculture, horticulture or forestry" the words,"other than ghamella", shall be added;

(vi) in S. No. 148, for the entry in column (3),for the entry against item number (v), the entry "Vibhuti", shall be substituted;

(vii) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

"151	Any chapter	"Parts for manufacture of hearing aids";

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 8/2018—राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-4/2018/वाक/पांच(15). — छतीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंत:राज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) की अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है ।